

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- /III(1)/20-01(17)/अधि0/2018

देहरादून, दिनांक 2/ मई, 2020

-: कार्यालय ज्ञाप :-

लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-667/III(1)/20-01(17)/अधि0/18, दिनांक 20.05.2020 द्वारा लोक निर्माणविभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों/नवनिर्माण कार्यों में विभागीय अनुशासनिक जंच एवं अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी बिन्दुओं पर परामर्श प्रदान किये जाने हेतु अनुभवी एवं विशिष्ट तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण विशेषज्ञ की नितान्त आवश्यकता के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी परामर्शदाता का एक अस्थाई नि:संवर्गीय पद की निरन्तरता दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक के लिए बशर्ते कि यह पद इससे पूर्व बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, तक के लिए विस्तारित किया गया है।

2- उक्त सृजित तकनीकी परामर्शदाता के नि:संवर्गीय पद पर श्री ललित मोहन, मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत्त) लोक निर्माण विभाग को संविदा के आधार पर उनकी सेवायें दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक के लिए विस्तारित की जाती है। यह नियुक्ति इससे पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3- श्री ललित मोहन को उक्त पद पर तैनाती के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-173, दिनांक 20.02.2013 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

4- उक्त नि:संवर्गीय पद पर पुनर्नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री ललित मोहन को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-41/XXVII(7)/50(4)/2017, दिनांक 12.09.2017 के अनुसार उन्हें वेतन सेवानिवृत्ति के दिनांक को अन्तिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि को घटाकर जो धनराशि प्राप्त होगी, उन्हें अनुमन्य होगा। शेष अन्य भत्ते/सुविधाएँ शासनादेश दिनांक 12.07.2017 के प्राविधान के अनुसार नियमानुसार देय होगी।

6- तकनीकी परामर्शदाता के रूप में श्री ललित मोहन को कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-173, दिनांक 20.02.2013 के प्राविधान के अनुसार कार्यालय कक्ष, स्टाफ, वाहन व अन्य सुविधाएँ अनुमन्य होगी।

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव

संख्या 685/III(1)/20-01(17)/अधि0/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 914 / 28व्यक-सा० / 19

दिनांक:- 08 / 06 / 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. श्री ललित मोहन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, 6/1 तेग बहादुर रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-1/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
10. प्रशासनिक अधिकारी, प्रकीर्ण/कैश वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
11. आईटी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
12. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
विभागाध्यक्ष कार्यालय,
लो०नि०वि०, देहरादून